

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.10(214)नविवि / 3 / 09

जयपुर, दिनांक : 13.01.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जौन, कोटा, को भवानी मण्डी, जिला झालावाड़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

1. भवानी मण्डी	BHAWANI MANDI
2. पचपहाड़	PACHPAHAR
3. मुगलाना	MUGLANA
4. लाम्बी	LAMBI
5. सूलिया	SOOLIYA
6. गंगपुरा	GANGPURA
7. माण्डवी	MANDVI
8. देवरिया	DEORIYA
9. ऐराखेड़ा	ERA KHERA
10. ऐरीखेड़ा	ERI KHERA
11. खोती	KHOTI
12. निपानिया उदा	NIPANIYA UDA
13. गुराड़िया भरता	GURADIYA BHARTA

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवानें का श्रम करें।
- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, झालावाड़।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जौन, कोटा।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भवानी मण्डी।
- रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)  
उप नगर नियोजक

